

सोशल

मीडिया

सेल

जनपद

आजमगढ़

पत्र संख्या:- 32/प्रेसनोट/2021

17 जनवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना तरवां

थाना तरवां और सरायमीर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 50 हजार रूपये का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली से घायल, मुंबई से चोरी की गई अपाचे मोटरसाइकिल, एक अदद पिस्टल व एक अदद जिन्दा व पांच अदद खोखा कारतूस .32 बोर बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, लूटेरा, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब, अवैध असलहों की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 16.01.2021 को मुखबीर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक तरवां श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक सरायमीर श्री अनील कुमार सिंह द्वारा मय हमराहियान के वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की घेराबन्दी के दौरान एक अपराधी से नौरसिया कबूतरा रोड पर बहद ग्राम चौकी गंजोर थाना तरवां आजमगढ़ के पास पुलिस मुठभेड़ में मु 0अ0स0- 474/2020 धारा 392, 411, 120बी भादवि थाना कादीपुर व मु 0अ0स0- 546/2020 धारा 307 भादवि थाना कादीपुर में जनपद सुल्तानपुर से ADG/IG लखनऊ महोदय द्वारा घोषित 50000/- रु० का इनामी घोषित बदमाश कृष्णानन्द उर्फ मिन्टू विश्वकर्मा पुत्र स्व० हंसराज विश्वकर्मा सा० खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की जबाबी नियंत्रित फायरिंग में दाहिने टांग में गोली लगने के कारण घायल हो गया। अभियुक्त के पास से एक अदद पिस्टल, एक अदद जिन्दा व पांच अदद खोखा कारतूस .32 बोर तथा एक अदद लाल अपाची गाड़ी न. UP 50 BJ 7731 (फर्जी नम्बर प्लेट) व 3000 रूपये नकदी बरामद हुई। उपचार एवं मेडिकल हेतु अभियुक्त को PHC तरवां मौके से ही रवाना किया गया। अभियुक्त के ऊपर विभिन्न जनपदों में लूट, हत्या का प्रयास, गैरेस्टर एक्ट के तहत एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। जिसकी दिनांक 12.12.2020 को अहरौला पेट्रोल टंकी लूट में जनपदीय पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना तरवां पर मु०अ०स०-०६/२०२१ धारा 307, 41, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ पर अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 12.12.2020 को सायंकाल राजन के कहने पर चन्द्रजीत यादव, रुद्र प्रताप, मै, वैभव यादव उर्फ छोटू, ओम गिरी, दिनेश गौड़, अजय व शैलेन्द्र ने मिलकर थाना अहरौला क्षेत्र के पेट्रोल पम्प पर लूट किये थे जिससे अजय व शैलेन्द्र ने रेकी किया था और हम छः लोगो ने घटना को अंजाम दिया था जिसमें मेरे हिस्से में मिले रूपयों में से और रूपये खर्च हो गये 3000/- रु. बचे हैं जो आज मेरे पास से बरामद हुए हैं। उक्त घटना में हम लोगो ने दो सुपर स्पेलेण्डर गाड़ियों का प्रयोग किया था जिनसे से एक गाड़ी हमने 29.11.2020 को गालिबपुर पवई से लूटी थी तथा दूसरी मोटरसाइकिल 3.11.2020 को पिलकिछा थाना क्षेत्र खुटहन जौनपुर से लूटी थी। दिनांक 18.12.2020 को अखण्ड नगर सुल्तानपुर से इण्डेन गैस एजेन्सी से लूट किया था जिसमें 70000/- रूपये मिले थे। उस घटना में मेरे साथ छोटू, बजरंगी, ओमगिरी, गुड्डू यादव

उर्फ राहुल , दिनेश गोड़ थे । अभियुक्त ने यह भी बताया कि दिनांक 14.8.2020 को हम लोगो ने लालगंज में कोरियर वाले के यहां भी लूट की थी और यह भी बताया कि मैं और मेरे साथियो द्वारा जनपद जौनपुर सुल्तानपुर, रायबरेली , अमेठी , अम्बेडकर नगर , फैजाबाद व आजमगढ़ में कई लूट की घटनाये घटित की गयी है । मेरे ऊपर जिला सुल्तानपुर से 50000/- रु. का इनाम घोषित है । पिस्टल व मोटरसाइकलि के बारे में कडाई से पुछने पर बताया कि जो पिस्टल मेरे पास से मिली है इससे मैंने कई लूटो को अंजाम दिया है । आज जो मेरे पास मोटरसाइकिल अपाची बरामद हुई है उसे मैंने नाला सोपाड़ा मुम्बई से लाकडाउन के दौरान चुराकर लाया था पकड़े जाने के भय से मैंने इस पर मुम्बई की नम्बर प्लेट हटाकर उस पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की फर्जी नम्बर प्लेट लगा दिया है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

कृष्णानन्द उर्फ मिन्टू विश्वकर्मा पुत्र स्व० हंसराज विश्वकर्मा सा० खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियुक्त

मु०अ०सं०-06/2021 धारा 307,41,411,419,420,467,468,471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं०- 530/2017 धारा 394/411/120B IPC थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली ।
2. मु०अ०सं०- 21/2018 धारा 307/120B IPC थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ।
3. मु०अ०सं०- 474/2020 धारा 392/411/120B IPC थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर ।
4. मु०अ०सं०- 546/2020 धारा 307 IPC थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर ।
5. मु०अ०सं०- 482/2020 धारा 392/411 IPC थाना लम्हुआ जनपद सुल्तानपुर ।
6. मु०अ०सं०- 1085/2020 धारा 392/411 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर ।
7. मु०अ०सं०- 163/2020 धारा 392/411 IPC थाना करौदी कलां जनपद सुल्तानपुर ।
8. मु०अ०सं०- 164/2020 धारा 392/411 IPC थाना करौदी कलां जनपद सुल्तानपुर ।
9. मु०अ०सं०- 245/2010 धारा 392/411 IPC थाना रौनाही जनपद फैजाबाद ।
10. मु०अ०सं०- 79/2015 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ ।
11. मु०अ०सं०- 50/2014 धारा 307 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ।
12. मु०अ०सं०- 52/2014 धारा 3/25 A ACT थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ।
13. मु०अ०सं०- 861/2017 धारा 394/411 IPC थाना शुक्ल बाजार जनपद अमेठी ।
14. मु०अ०सं०- 32/2014 धारा 392/411 IPC थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ ।
15. मु०अ०सं०- 206/2020 धारा 395/506/412 IPC थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ ।
16. मु०अ०सं०- 456/2017 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

बरामदगी

1. एक अदद पिस्टल, एक अदद जिन्दा व पांच अदद खोखा कारतूस .32 बोर ।
2. एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल अपाचे नं०- UP 50 BJ 7731 ।
3. लूट के 3000 रूपये ।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक तरवां श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह मय हमराह जनपद आजमगढ़ ।

2. प्रभारी निरीक्षक सरायमीर श्री अनील कुमार सिंह मय हमराह जनपद आजमगढ ।